[2009] 3 एस.सी.आर. 1005

महेश चौधरी

बनाम

राजस्थान राज्य एवं अन्य।

(2009 की आपराधिक अपील संख्या 417)

3 मार्च 2009

[एस.बी. सिन्हा और अशोक कुमार गांगुली, जे.जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:

धारा 482 - आपराधिक कार्यवाही को रद्द करना - उच्च न्यायालय की शक्ति - चर्चा - वर्तमान मामले में शामिल प्रश्न अनिवार्य रूप से एक नागरिक विवाद है - आपराधिक दायित्व लगाने का मामला नहीं बनता है - मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और पूर्ण न्याय करने का आदेश, कुछ निर्देश जारी - भारत का संविधान, अनुच्छेद 142।

जिस फर्म में अपीलकर्ता भागीदार था, उसने एक अन्य फर्म के साथ एक समझौता किया, जिसके तहत बाद वाली फर्म को प्रत्येक चालान के चालान मूल्य और फर्म द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से की गई कुल बिक्री पर 10% कमीशन प्राप्त करना था। यह आरोप लगाते हुए कि अपीलकर्ता ने एक सहयोगी कंपनी के माध्यम से लगभग 9 करोड़ रुपये की बिक्री पर फर्म को कमीशन का भुगतान न करके आपराधिक विश्वासघात और/या धोखाधड़ी और जालसाजी का अपराध किया है, एक शिकायत याचिका दायर की गई थी। मजिस्ट्रेट ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया और एफआईआर दर्ज कर ली गई। मजिस्ट्रेट ने अपीलकर्ता के खिलाफ अपराधों का संज्ञान लिया। इसके बाद अपीलकर्ता ने मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया। इसे ख़ारिज कर दिया गया. इसलिए अपील.

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए

आयोजित:1. निर्विवाद रूप से, यह प्रश्न कि क्या शिकायतकर्ता दिनांक 21/2/1973 के समझौते के संदर्भ में कमीशन की अधिक राशि का हकदार था, अनिवार्य रूप से एक नागरिक विवाद है। उक्त समझौते के अनुसार शिकायतकर्ता न केवल आरोपी द्वारा रखे गए दस्तावेजों का निरीक्षण करने का हकदार था, बल्कि उसका ऑडिट कराने का भी हकदार था। इसलिए,

यह कहना मुश्किल है कि जांच अधिकारी ने सही राय दी है कि इस आधार पर आरोपी पर आपराधिक दायित्व थोपने का मामला बनाया गया है। ऐसा कहते समय, यह न्यायालय आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अदालत की शक्ति की सीमाओं से अनभिज्ञ नहीं है, जो मुख्य रूप से किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या अन्यथा न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए है। उस स्तर पर अदालत साक्ष्य की सराहना नहीं करेगी। इसके अलावा न्यायालय रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों पर समग्र रूप से विचार करेगा। [पैरा 15]

कमलादेवी अग्रवाल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। **एवं अन्य. (2002) 1 एससीसी 655;** *बी.सुरेश यादव बनाम शरीफा बी एवं अन्य।* **(2007) 13 एससीसी 107 और** *आर. कल्याणी बनाम जनक सी. मेहता और अन्य।* **2008 (14) स्केल 85, संदर्भित।**

2. आरोप-पत्र, प्रथम दृष्टया अपराध के घटित होने का खुलासा करता है। जांच अधिकारी द्वारा निष्पक्ष जांच की गई। आरोप-पत्र विस्तृत है। यदि संज्ञान का कोई आदेश मजिस्ट्रेट पर भरोसा करते हुए या उसके आधार पर पारित किया गया है, तो उस पर कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है। इस न्यायालय को विवादित आदेशों में कोई कानूनी खामी नहीं मिली। [पैरा 16]

3. इस न्यायालय के समक्ष यह कहा गया कि अपीलकर्ता पक्षों के बीच विवादों और मतभेदों को निपटाने के लिए तैयार और इच्छुक है। मामले को ध्यान में रखते हुए और इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और पक्षों को पूर्ण न्याय देने की दृष्टि से, भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए, यह निर्देशित किया जाता है कि इस स्थिति में अपीलकर्ता चार सप्ताह की अवधि के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होता है और जमानत देने के लिए आवेदन दायर करता है, उसे ऐसे नियमों और शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाएगा जिन्हें मजिस्ट्रेट उचित और उचित समझे। ऐसी स्थिति में, अपीलकर्ता अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के लिए आवेदन दायर करता है, उस पर भी उसके गुण-दोष के आधार पर विचार किया जा सकता है। शिकायतकर्ता अपीलकर्ता के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए स्वतंत्र होगा। [पैरा 17]

केस कानून संदर्भ:

(2002) 1 एससीसी 555	**पैरा 15 को**	**संदर्भित करता है**
(2007) 13 एससीसी 107	**पैरा 15 को**	**संदर्भित करता है**
2008 (14) स्केल 85	**पैरा 15 को**	**संदर्भित करता है**

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2009 की आपराधिक अपील संख्या 417।

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर के एस.बी. में दिनांक 10.10.07 के निर्णय एवं आदेश से। आपराधिक विविध. 2007 की याचिका संख्या 178.

अपीलकर्ताओं के लिए जगदीप धनखड़, सुनील कुमार और अनीश मित्तई।

एल.एन. राव, सिद्धार्थ लुत्रा, रणधीर सिंह, ब्रज किशोर

प्रतिवादी की ओर से मिश्रा, अपर्णा झा और विक्रम।

न्यायालय का फैसला **एस.बी. सिन्हा, जे**. द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति दी गई.

2. अपीलकर्ता मेसर्स सरस्वती एक्सपोर्ट्स नामक फर्म का भागीदार था। वह 'सरस्वती एक्ज़िम प्राइवेट लिमिटेड' नामक कंपनी के निदेशक भी हैं। लिमिटेड' {संक्षेप में, "कंपनी")। 3. मेसर्स एस.एन.कपूर एक्सपोर्ट्स भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (संक्षेप में, "फर्म") के तहत पंजीकृत एक फर्म है। शिकायतकर्ता विक्रम कपूर (यहाँ प्रतिवादी संख्या 2) उसका भागीदार है। यह फर्म कालीन, चटाई आदि के निर्माण, बिक्री और निर्यात में लगी हुई थी। इसने विभिन्न प्रकार के हाथ से बुने हुए कालीनों के नए डिजाइन विकसित किए और उनमें विशेष कौशल हासिल किया।

4. निर्विवाद रूप से, दोनों फर्मों ने 1.4.2001 को या उसके आसपास एक अनुबंध में प्रवेश किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, फर्म अपीलकर्ता को उत्पादन, यानी डिजाइनिंग, रंगाई, रंगाई, फिनिशिंग आदि के संबंध में मदद करने के लिए सहमत हुई। फर्म ने अपने उत्पादों को आसानी से बिक्री योग्य और अधिक विपणन योग्य बनाने के लिए अपीलकर्ता को कालीन उत्पादन के लिए ज्ञान और जानकारी प्रदान करने पर भी सहमति व्यक्त की। उक्त उद्देश्य के लिए फर्म को प्रत्येक चालान के चालान मूल्य और फर्म द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से की गई कुल बिक्री पर 10% कमीशन प्राप्त करना था।

उक्त समझौते के कुछ खंड इस प्रकार हैं:

“9. कि दूसरे पक्ष के पास डिज़ाइनिंग आदि के सभी कार्यों की देखरेख और खाता रिकॉर्ड/बहियों की ऑडिटिंग/जांच करने के लिए प्रथम पक्ष द्वारा प्रदान किया गया एक कार्यालय होगा।

XXXX XXXX XXXX

14. दूसरे पक्ष को किसी भी समय अपने लेखा परीक्षक के माध्यम से लेखा पुस्तकों/अभिलेखों आदि की लेखा परीक्षा, जांच करने का अधिकार होगा और प्रथम पक्ष इस संबंध में सहयोग करेगा।

15. यदि 10% कमीशन के कारण देय राशि का तुरंत भुगतान नहीं किया जाता है, जैसे ही देय राशि रु। 3 लाख, दूसरा पक्ष केवल इस समझौते के आधार पर, बकाया की वसूली के लिए एक कानूनी मुकदमा दायर करेगा और 15% के साथ पूरा भुगतान होने तक व्यवसाय और उसकी कुल गतिविधि पर कानूनी अदालत से रोक लगाएगा। देरी की अवधि के लिए ब्याज और मुकदमे की पूरी लागत का भुगतान प्रथम पक्ष द्वारा कर दिया गया है और पूरा भुगतान किया गया है:

XXXX XXXX XXXX

23. कि प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष से आश्वासन मिला है कि बिक्री (हैंड नॉटेड कालीन की निर्यात बिक्री) द्वितीय पक्ष की सहायता से की जाएगी।

24. यह कि प्रथम पक्ष गुणवत्ता के निष्पादन में कोई समझौता किए बिना केवल हैंड नॉटेड कालीन का उत्पादन करने का कार्य कर रहा है। प्रथम पक्ष द्वारा उत्पादित किसी भी दोषपूर्ण कालीन की जिम्मेदारी पूरी तरह से प्रथम पक्ष की होगी।

25. न तो पहला पक्ष और न ही दूसरा पक्ष किसी अन्य के साथ ऐसा समझौता कर सकता है।"

5. उक्त समझौता 31/3/2003 तक निर्विवाद रूप से जारी रहा,1.4.2003 से फिर पार्टियों द्वारा और उनके बीच एक और समझौता किया गया है जिसके तहत यह सहमति हुई थी कि अपीलकर्ता दो साल की अवधि के लिए फर्म को प्रति माह 17 लाख रुपये का भुगतान करेगा। इसके अलावा यह विवाद में नहीं है कि जबकि फर्म निर्यात के लिए देय कमीशन के रूप में 4,49,85,581/- रुपये की राशि का दावा करती है, लेकिन केवल 3,21,06,910/- रुपये की राशि का भुगतान किया गया है।

6. अन्य बातों के साथ-साथ यह आरोप लगाना कि अपीलकर्ता ने आपराधिक विश्वासघात और/या धोखाधड़ी और जालसाजी का अपराध किया है, इस आधार पर कि उसने वर्ष 2002-2003 में एक सहयोगी कंपनी के माध्यम से लगभग 9 करोड़ रुपये की बिक्री की थी। किसी भी कमीशन का भुगतान नहीं किया गया था, हालांकि तकनीकी जानकारी फर्म द्वारा उपलब्ध कराई गई थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 22, जयपुर शहर, जयपुर की अदालत में 13/08/2004 को एक शिकायत याचिका दायर की गई थी।

7. विद्वान मजिस्ट्रेट ने ब्रह्मपुरी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने का निर्देश दिया। उसके अनुसरण में या उसे आगे बढ़ाते हुए, एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जांच पूरी होने पर, 8.1.2007 को या उसके आसपास एक विस्तृत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त आरोप-पत्र में, अन्य बातों के अलावा, यह राय दी गई थी कि सहयोगी संस्था के माध्यम से कालीन की बिक्री दिखाने के लिए रिकॉर्ड में कोई हेरफेर नहीं किया गया है, यह कहते हुए:

> "यहाँ तक कि यह मान लिया गया है कि सरस्वती एक्ज़िम द्वारा की गई बिक्री सरस्वती एक्सपोर्ट की अप्रत्यक्ष बिक्री है, फिर भी अन्य फर्मों से खरीदे गए गुच्छेदार कालीनों और हाथ से बुने हुए कालीनों की बिक्री पर श्री कपूर को कोई कमीशन देय नहीं है। सरस्वती एक्सपोर्ट एवं सरस्वती एक्ज़िम द्वारा की गई बिक्री के संपूर्ण अभिलेखों से ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है कि अभिलेखों में कोई हेराफेरी कर सरस्वती एक्सपोर्ट द्वारा की गई बिक्री को सरस्वती एक्ज़िम द्वारा की गई बिक्री दर्शाया गया हो।

8. अनुबंध की शर्तों का विश्लेषण करते हुए, यह कहा गया कि शिकायतकर्ता ने अपीलकर्ता की ओर से कथित उल्लंघनों के संबंध में समय-समय पर कोई विरोध नहीं उठाया और किसी भी स्थिति में, यह एक नागरिक विवाद को जन्म देता है।

9. हालाँकि, यह पाया गया कि फर्म की तुलना में अलग-अलग रकम और मात्रा दिखाते हुए अलग-अलग चालान बैंक को प्रस्तुत किए गए थे, जिसमें कहा गया था:

> "...इस प्रकार, सरस्वती एक्सपोर्ट के साझेदारों ने चालान में कमीशन की राशि गलत और गलत तरीके से दिखाकर और गलत और गलत तरीके से कुल बिक्री मूल्य से कमीशन की राशि घटाकर कम बिक्री टर्नओवर दिखाया और परिणामस्वरूप, एक अपराध आईपीसी की धारा 420, 467, 468 के तहत श्री कपूर को वास्तविक देय कमीशन से कम कमीशन देने और विश्वास भंग करने का आरोप सिद्ध पाया गया है।
>
> 3. इनवॉइस नंबर 1610/23.4.02 जो कि सरस्वती एक्सपोर्ट द्वारा बैंक में जमा किया गया है, उसमें कालीन का रेट अधिक दिखाया गया है और शिकायतकर्ता को दिए गए इनवॉइस में कालीन का रेट कम दिखाया गया है। इस प्रकार, उपरोक्त चालानों की प्रतियों में कालीन की बिक्री दर में अंतर के संबंध में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है। हालाँकि, सरस्वती एक्सपोर्ट के वार्षिक बिक्री कारोबार की तुलना में, उपरोक्त एक बिल के कुल बिक्री मूल्य यूएस § 34096.00 और अंतर राशि 2005 यूएस डॉलर का अंतर नगण्य है, लेकिन यह साबित हो गया है कि श्री महेश

चौधरी ने गलत प्रविष्टि करके चालान ने श्री कपूर को देय 200.5 यूएस डॉलर का कमीशन बचा लिया है और श्री कपूर को उसका भुगतान नहीं किया है जिसके खिलाफ धारा 420, 467, 468 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध साबित हुआ है।

10. विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दिनांक 9/1/2007 के एक आदेश द्वारा अपीलकर्ता के खिलाफ अपराधों का संज्ञान लिया। इसके बाद अपीलकर्ता ने राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष उक्त आदेश को रद्द करने के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसे आक्षेपित निर्णय के आधार पर खारिज कर दिया गया है।

11. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री जगदीप धनखड़ प्रस्तुत करेंगे:

(i) उपर्युक्त समझौते दिनांक 21.2.1973 के संदर्भ में लेनदेन 31/3/2003 तक जारी रहा और फर्म को कमीशन के रूप में 3,21,06,910/- रुपये का भुगतान किया गया, शुल्क- भले ही शीट अंकित मूल्य दी गई हो और पूरी तरह से सही मानी गई हो, भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467 और 468 के तहत दंडनीय अपराध नहीं है।

(i) अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप-पत्र में की गई टिप्पणियाँ केवल 200 यूएस § से संबंधित हैं, यह सोचना बेतुका है कि अपीलकर्ता ऐसा अपराध करेगा।

(ili) किसी भी स्थिति में, अनुबंध के उल्लंघन से संबंधित पक्षों के बीच विवाद और मतभेद जिसके परिणामस्वरूप नागरिक विवाद होता है, उसे मध्यस्थता या किसी अन्य विवाद समाधान तंत्र के माध्यम से हल करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

12. श्री एन. दूसरी ओर, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील राव तर्क देंगे:

(i) अपीलकर्ता ने अवैध रूप से और गलत तरीके से व्यवसाय को अपनी सहयोगी कंपनी में स्थानांतरित कर दिया और इस प्रकार, प्रतिवादी नंबर 2 को भारी मात्रा में कमीशन के रूप में धोखा दिया।

(ii) किसी भी घटना में, इस निष्कर्ष पर पहुंचने पर आरोप पत्र दायर किया गया है कि आरोपी ने चालान के संबंध में जालसाजी का अपराध किया है, जो मूल्यवान सुरक्षा हैं, इस न्यायालय को विवादित आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

13. किसी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा शक्ति का प्रयोग करने का सिद्धांत सर्वविदित है। अदालत

आम तौर पर उक्त क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगी, अन्य बातों के साथ-साथ, उस स्थिति में जब एफआईआर या शिकायत याचिका में निहित आरोप भले ही अंकित मूल्य पर पूरी तरह से सही माने जाएं, किसी अपराध के घटित होने का खुलासा नहीं करते हैं।

14. यह भी अच्छी तरह से तय है कि बहुत असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, अदालत अपने बचाव के समर्थन में अभियुक्त द्वारा भरोसा किए गए किसी भी दस्तावेज़ पर गौर नहीं करेगी। हालाँकि शिकायत याचिका में शामिल आरोप एक नागरिक विवाद का खुलासा कर सकते हैं, लेकिन यह अपने आप में यह मानने का आधार नहीं हो सकता है कि आपराधिक कार्यवाही जारी रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के उद्देश्य से, वरिष्ठ न्यायालयों को इस बात पर भी विचार करना आवश्यक है कि क्या एफआईआर या शिकायत याचिका में लगाए गए आरोप आरोपी के खिलाफ लगाए गए अपराधों की सामग्री को पूरा करते हैं।

15. निर्विवाद रूप से, यह प्रश्न कि क्या शिकायतकर्ता दिनांक 21/2/1973 के समझौते के संदर्भ में कमीशन की अधिक राशि का हकदार था, अनिवार्य रूप से एक नागरिक विवाद है। उक्त समझौते के अनुसार शिकायतकर्ता न केवल आरोपी द्वारा रखे गए दस्तावेजों का निरीक्षण करने का हकदार था, बल्कि उसका ऑडिट कराने का भी हकदार था। इसलिए, यह कहना मुश्किल है कि जांच अधिकारी ने सही राय दी है कि इस आधार पर आरोपी पर आपराधिक दायित्व थोपने का मामला बनाया गया है। ऐसा कहते समय, हम आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अदालत की शक्ति की सीमाओं से अनभिज्ञ नहीं हैं, जो मुख्य रूप से या तो किसी भी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए है या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए है। उस स्तर पर अदालत साक्ष्य की सराहना नहीं करेगी। इसके अलावा न्यायालय रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों पर समग्र रूप से विचार करेगा।

कमलादेवी अग्रवाल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य. [(2002)1 एससीसी 555], इस न्यायालय ने राय दी:

> "7. इस न्यायालय ने लगातार माना है कि प्रारंभिक चरण में कार्यवाही को रद्द करने की पुनरीक्षण या अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग संयमित ढंग से किया जाना चाहिए और केवल वहीं किया जाना चाहिए जहां शिकायत या एफआईआर में लगाए गए आरोप, भले ही इसे अंकित मूल्य पर लिया गया हो और संपूर्ण रूप से स्वीकार किया गया हो। प्रथम दृष्टया किसी अपराध के घटित होने का खुलासा नहीं करना। विवादित एवं विवादास्पद तथ्यों को क्षेत्राधिकार के प्रयोग का आधार नहीं बनाया जा सकता।"

इसके अलावा यह देखा गया कि उच्च न्यायालय को प्रारंभिक चरण में कार्यवाही में हस्तक्षेप करने में धीमा होना चाहिए और केवल इसलिए कि विवाद की प्रकृति मुख्य रूप से नागरिक प्रकृति की है, आपराधिक मुकदमा रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि जालसाजी और धोखाधड़ी के मामलों में वहां हमेशा नागरिक प्रकृति का कोई न कोई तत्व रहेगा।

यह न्यायालय *बी.सुरेश यादव बनाम शरीफा बी एवं अन्य* में [(2007) 13 एससीसी 107] निम्नानुसार राय व्यक्त की गई;

> "13. धोखाधड़ी के अपराध को स्थापित करने के उद्देश्य से, शिकायतकर्ता को यह दिखाना आवश्यक है कि वादा या अभ्यावेदन करते समय अभियुक्त का इरादा धोखाधड़ी या बेईमानी का था। इस प्रकृति के मामले में, लंबित नागरिक मुकदमे में किसी पक्ष द्वारा अपनाए गए रुख पर विचार करना कानून में स्वीकार्य है। हालाँकि, हमारा इरादा ऐसा कानून बनाने का नहीं है कि किसी व्यक्ति का दायित्व एक ही समय में नागरिक और आपराधिक दोनों नहीं हो सकता। लेकिन जब किसी शिकायत याचिका में कोई रुख अपनाया गया हो जो सिविल मुकदमे में उसके द्वारा उठाए गए रुख के विपरीत या असंगत हो, तो इसका महत्व बढ़ जाता है। यदि कथित तथ्य हमारे सामने प्रस्तुत किया गया होता कि अपीलकर्ता ने उक्त दो कमरों को ध्वस्त करवा दिया और विक्रय पत्र के निष्पादन के समय उक्त तथ्य को छुपाया, तो मामला अलग हो सकता था। चूँकि विक्रय विलेख 30/9/2005 को निष्पादित किया गया था और कथित विध्वंस 29/9/2005 को हुआ था, यह उम्मीद थी कि शिकायतकर्ता/प्रथम प्रतिवादी अपने द्वारा दायर लिखित बयान में अपनी वास्तविक शिकायत सामने लाएगा। उपरोक्त सूट. उन्होंने, उन्हीं कारणों से, जो उन्हें सबसे अच्छी तरह मालूम हैं, ऐसा करने का विकल्प नहीं चुना।"

हाल ही में *आर. कल्याणी बनाम जनक सी. मेहता और अन्य* मामले में [2008 (14) स्केल 85], इस न्यायालय ने निम्नलिखित शर्तों में कानून निर्धारित किया:

> "9. उक्त निर्णयों से कानून के जो प्रस्ताव सामने आते हैं वे हैं;
>
> (1) उच्च न्यायालय आम तौर पर किसी आपराधिक कार्यवाही और विशेष रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने के लिए अपने अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करेगा, जब तक कि उसमें निहित आरोप, भले ही अंकित मूल्य दिया गया हो और उनकी संपूर्णता में सही माना गया हो, कोई संज्ञेय खुलासा नहीं किया गया हो। अपराध।

(2) उक्त उद्देश्य के लिए, न्यायालय, बहुत ही असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, बचाव पक्ष द्वारा भरोसा किए गए किसी भी दस्तावेज़ पर गौर नहीं करेगा।

(3) ऐसी शक्ति का प्रयोग बहुत संयमित ढंग से किया जाना चाहिए। यदि एफआईआर में लगाए गए आरोप किसी अपराध के घटित होने का खुलासा करते हैं, तो अदालत उससे आगे नहीं बढ़ेगी और आरोपी के पक्ष में किसी भी आपराधिक मनःस्थिति या एक्टस रीस की अनुपस्थिति का आदेश पारित करेगी।

(4) यदि आरोप एक नागरिक विवाद का खुलासा करता है, तो यह अपने आप में यह मानने का आधार नहीं हो सकता है कि आपराधिक कार्यवाही जारी रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

10. यह भी सर्वविदित है कि कोई भी कठोर नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता। प्रत्येक मामले पर उसके गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाना चाहिए। न्यायालय, अपने अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, हालांकि उस उद्देश्य और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किसी वास्तविक शिकायत में हस्तक्षेप नहीं करेगा जिसके लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 और 483 के प्रावधान संसद द्वारा पेश किए गए थे, लेकिन इसमें संकोच नहीं करेगा। उचित मामलों में अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करें। सुपीरियर न्यायालयों के सर्वोपरि कर्तव्यों में से एक यह देखना है कि जो व्यक्ति स्पष्ट रूप से निर्दोष है, उसे झूठी और पूरी तरह से अस्थिर शिकायत के आधार पर उत्पीड़न और अपमान का शिकार नहीं होना चाहिए।

16. हमारी राय में, आरोप-पत्र प्रथम दृष्टया अपराध के घटित होने का खुलासा करता है। जांच अधिकारी द्वारा निष्पक्ष जांच की गई। आरोप-पत्र विस्तृत है। यदि संज्ञान का कोई आदेश विद्वान मजिस्ट्रेट पर भरोसा करते हुए या उसके आधार पर पारित किया गया है, तो हमारी राय में, उस पर कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है। इसलिए, हमें विवादित आदेशों में कोई कानूनी खामी नहीं दिखती।

17. हालाँकि, हमें यह रिकॉर्ड पर रखना होगा कि हमारे सामने श्री धनखड़ ने कहा था कि अपीलकर्ता पार्टियों के बीच विवादों और मतभेदों को निपटाने के लिए तैयार और इच्छुक है। मामले को ध्यान में रखते हुए और इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और पक्षों को पूर्ण न्याय देने की दृष्टि से, हम, भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, निर्देश देते हैं कि यदि अपीलकर्ता तारीख से चार सप्ताह की अवधि के भीतर विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होता है और जमानत देने के लिए आवेदन दायर करता है, तो उसे ऐसे नियमों और शर्तों पर

जमानत पर रिहा किया जाएगा जो विद्वान मजिस्ट्रेट को उचित और उचित लगे। ऐसी स्थिति में, अपीलकर्ता अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के लिए आवेदन दायर करता है, उस पर भी उसके गुण-दोष के आधार पर विचार किया जा सकता है। शिकायतकर्ता अपीलकर्ता के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए स्वतंत्र होगा।

18. उपरोक्त निर्देशों के अधीन, अपील खारिज की जाती है।

जी.एन. अपील खारिज.

आशीष तिवारी की देखरेख में आशा शुक्ला द्वारा अनुवादित।